बिहार सरकार
वित्त विभाग

अ धि सू च ना

पटना दिनांक– 20/10/2023

सं०–एम–4–08/2020...9474/वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–

(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2023 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

2. सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम–144(xi) में किये गये संशोधन के आलोक में बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–30 के उपनियम–(xxii) को निम्नवत संशोधित किया जाता है :–

"इन नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के रहते हुए राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने राज्य के अधीन, किसी देश या देशों या देश–समूहों के बोलीदाताओं/निविदादाताओं **या उन देश/देशों या देश–समूहों के किसी इकाई के साथ वाणिज्यिक व्यवस्था रखने वाले बोलीदाताओं/निविदादाताओं** से अधिप्राप्ति संबंधित निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक शर्त्त/प्रतिबंध/बंधेज यथा पूर्व निबंधन और/या स्क्रीनिंग सहित अन्य शर्त्त लगाये जाने के संबंध में आवश्यक आदेश/दिशा–निर्देश लिखित रुप से निर्गत कर सकेगी; इस तरह के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर कोई अधिप्राप्ति नहीं की जायेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/10/2023
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक:–एम–4–08/2020 ...9474.../वि० **पटना, दिनांक**...20/10/2023

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/10/2023
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक:–एम–4–08/2020 ...9474.../वि० **पटना, दिनांक**...20/10/2023

प्रतिलिपि:–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/10/2023
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक:–एम–4–08/2020 ...9474.../वि० **पटना, दिनांक**...20/10/2023

प्रतिलिपि:–ई–गजट प्रशाखा/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन) ।
20/10/2023

Desktop\GFR\S.N.-90